न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 81 /अ-59/2017-18/ 5980 बैतूल दिनांक 14 / 5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत चाँदबेहड़ा जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम चाँदबेहड़ा तहसील बैतूल में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, ग्राम चाँदबेहड़ा तहसील स्थित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा चाँदबेहडा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्‌घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 10-2-2018 को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव क्रमांक- 03 पारित किया जाकर, ग्राम चाँदबेहडा की रास्ता मद की भूमि खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर में से 600 वर्गफुट का एक आवासीय पट्टा जारी करने के लिए उक्त भूमि के मद परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा सेन्दूरजना चाँदबेहड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 मे भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि, मौजा चाँदबेहड़ा स्थित रास्ता मद के खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर में से 20X30=600 वर्गफुट भूमि पर मीना पति दल्लू जाति गोण्ड कच्चा मकान बनाकर पिछले 15-20 वर्षो से निवास कर रही है। ग्राम सभा द्वारा आवेदिका को आवासीय पट्टा देने का निर्णय लिया गया है। उक्त भूमि को बने मकान को छोडकर मौके पर आवागमन हेतु 25 फिट खुला रास्ता बचता है जो खेतो में जाता है, मौके पर रास्ता की लंबाई 250 फिट एवं चौडाई 25 फिट आवागमन हेतु पर्याप्त है,तथा रास्ते में सीमेंट रोड बनी है व कुछ भाग पर कच्चा रास्ता है। रास्ता मद की भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भविष्य में मार्ग विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर ग्राम में भूमि की कमी नहीं होगी। आपतकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, व अन्य बडे वाहन ट्रक आदि के आवागमन में परेशानी नहीं होगी तथा किसी भी कारण से रास्ता बाधित नहीं होगा।

(5)- नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, वर्तमान में रास्ता अनुपयोगी है, भविष्य में ग्राम की बढती हुई आबादी को समयोजित करने के लिए प्रश्नाधीन खसरा नंबर के पूर्ण रकबे को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा।

(6)- नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, मौजा मौजा चाँदबेहड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है ।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण मे योजित दस्तावेज/तथ्यो व प्रतिवेदक अधिकारियो के प्रतिवेदन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि, आबादी घोषित करने लिए प्रस्तावित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज अवश्य है, परन्तु वर्तमान में उसका उपयोग रास्ता के रूप में नहीं हो रहा है, उक्त रास्ता वर्तमान में अनुपयोगी है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नंबर का मद परिवर्तन किए जाने से रास्ता के उपयोग में व्यवधान नहीं होगा। अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा चाँदबेहडा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 47 रकबा 0.093 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 81 /अ-59/2017-18/ 5980 बैतूल दिनांक 14/5/2018

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार बैतल(खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत चाँदबेहड़ा जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.